न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 73/2017 (राजसमन्द डिक्री)

लक्ष्मण नाथ पिता दीपा, जाति कालबेलिया, निवासी भाटोली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. रामेश्वर लाल पिता मोहनलाल, जाति खटीक, निवासी देलवाड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. मीठू नाथ पिता दीपा, जाति कालबेलिया, निवासी भाटोली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्रीमती सणगारी पत्नी दीपा, जाति कालबेलिया, निवासी भाटोली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द
दिनांक 08.12.2016 व अंतिम डिक्री
दिनांक 07.06.2017 प्र.सं. 215/2005

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री गिरजाशंकर मेहता अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री के. आर. डांगी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं॰ 1
3– श्री अमित माहेश्वरी अभिभाषक रेस्पो॰ सं॰ 2, 3
4– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 12–03–2020**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद बाबत विभाजन, घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन

किया कि राजस्व ग्राम भाटोली में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित आराजी नंबर 957 व 1049/956 कुल किता 2 रकबा 11 बीघा 5 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/6 हिस्सा होकर इसी अनुसार काबिज चले आ रहे है, किन्तु भूमियों का विभाजन नहीं होने से परेशानी आती हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार विभाजन किया जावे एवं वादी को स्वतंत्र आधिपत्य दिलाया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08–12–2016 से वादी का वाद स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी, तत्पश्चात प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 07–06–2017 को प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 20–11–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री के. आर. डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से वकील श्री अमित माहेश्वरी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट बीमार होने से समय पर अपील प्रस्तुत नहीं कर सका। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया है। अतः मयाद कण्डोन की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमारे द्वारा उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली अवलोकन किया। प्रकरण के गुणावगुण पर करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने विधिक सिद्धान्तों के

विपरीत निर्णय पारित किया है, क्योंकि पत्रावली राजस्व कैम्प रखी गयी, किन्तु कोई फैसला नहीं होने से पेशियां बदली रही एवं इस दौरान वाद में कोई कार्यवाही नहीं है। दिनांक 08–12–2016 को लक्ष्मणनाथ ने धारा 10 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, किन्तु इसके बावजूद उसी दिन निर्णय पारित कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। राजस्व कैम्प में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है एवं मनमकसूद तरीके से निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने वक्त बहस बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत धारा 10 सी.पी.सी. का अवलोकन करने के बाद वादी एवं प्रतिवादीगण की बहस सुनकर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की है एवं तत्पश्चात प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री जारी की है, जो विधि सम्मत होने से प्रथम दृष्टया हम उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 08–12–2016 एवं अंतिम डिक्री 07–06–2017 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 12–03–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

लक्ष्मणनाथ पिता दीपा कालबेलिया निवासी भाटोली, तहसील व जिला राजमसन्द बनाम **रामेश्वरलाल पिता मोहनलाल खटीक निवासी देलवाड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजमसन्द व अन्य**

अपील नं.....**73/2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **राजसमन्द** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....08**.....माह.....**12**.....**2016**
अंतिम डिक्री 07–06–2017

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**12**...माह.....**.03**.....सन् **2020** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**जी.एस. मेहता**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**के.आर.डांगी/अमित माहेश्वरी**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 08–12–2016 एवं अंतिम डिक्री 07–06–2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**12**.....माह.....**.03**.....**2020** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.06.23 12:45:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: